खाना पकाने की गैस की नयी एजेन्सियों और पेट्रोल पम्पों के खोले जाने पर प्रतिबन्ध

1572. **श्रीमती सत्या बहिन:** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में खाना पकाने की गैस की नई एजेन्सियों तथा पेट्रोल पम्पों के खोले जाने पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है; यदि हां तो कब से और इसके क्या कारण हैं; और

(ख) इस प्रतिबन्ध के कब तक हटा लिये जाने की सम्भावना है?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एम. एस. गुरुपादस्वामी): (क) और (ख) जी, नहीं। नये खुदरा बिक्री केन्द्र (पेट्रोल/डीजल) और एस० के० ओ०-एल०डी०ओ० की डीलरशिप स्थापित करने संबंधी कार्यवाही चल रही है। तथापि, तेल कम्पनियों को सलाह दी गई है कि वे मौजूदा ऐसे वितरक जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हैं, उनकी आर्थिक आत्म-निर्भरता में सुधार लाने की आवश्यकता और एल०पी०जी० के उपलब्धता को ध्यान में रख कर रेगिस्तानी और व पर्वतीय क्षत्रों को छोड़कर अन्यत्र नई एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की स्थापना संबंधी कार्यों की गति को धीमा रखें। जैसे ही स्वदेशी उत्पादन तथा आयात द्वारा एल०पी०जी० की उपलब्धता में सुधार होता है अतिरिक्त एल०पी०जी० की डिस्ट्री-ब्यूटरशिपों के बारे में विचार किया जा सकता है।

Prices of Hydroprogesterone and Nandrolone Phenyle propionate formulations

1573. SHRI BEKAL UTSAHI:
SHRI RAJNI RANJAN SAHU:

Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that prices being charged for Hydroprogesterone and Nandrolone Phenyle Propionate formulations are five times more than the ex-factory cost;

(b) what is the ex-factory cost of each of each formulation based on each drug and that is allowed on price control medicines;

(c) what were the new bulk drugs produced by the producers of these drugs and formulation during the last ten years and what was the total investment made on these drugs in land, building plant and machinery;

(d) whether it is a fact that these drugs do not fulfil any exclusion criteria; and

(b) To the extent available, the information is given below:—

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI M. S. GURUPADASWAMY): (a) No. Sir.

(b) To the extent available, the information is given gelow:—

(i) Duraboin 1 ml amp. Rs. 4.91

(ii) Decabolin 1 ml amp. Rs. 4.90

(c) Information will be collected and laid on the Table of the House.

(d) and (e) No, Sir The list of price controlled drugs is based on expert opinion of Kelkar Committee. However, the Government has already constituted a Standing Committee to look into issues arising out of DPCO, 1987, including exclusion/inclusion of drugs from price control.